अंक 32 । संख्या 12 । दिसंबर 2025

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

रिपोर्ट

- सीएपीएफ के लिए 30वीं एनएचआरसी वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता
- फिजी में एपीएफ की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 32 । संख्या 12 । दिसंबर 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

एनएचआरसी, भारत फिजी में एपीएफ बैठक में सहभागिता देते हुए

स्वीडिश प्रतिनिधिमंडल का दौरा

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

रिपोर्ट

4 सीएपीएफ के लिए 30वीं एनएचआरसी वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता
6 स्वत: संज्ञान
8 राहत के लिए सिफारिशें
8 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
8 केस स्टडी
9 घटनास्थल पूछताछ
10 **क्षेत्रीय दौरे**

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

11 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम
12 प्रशिक्षण कार्यक्रम
15 ज्ञानार्जन दौरे
16 मूट कोर्ट प्रतियोगिता
16 **पुरस्कार**

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी

17 फिजी में एपीएफ एजीएम और द्विवार्षिक सम्मेलन
19 प्रतिनिधिमंडल का दौरा
20 अन्य महत्वपूर्ण विचार-विमर्श
20 अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच
21 ऑनलाइन बैठकें
21 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**
24 **संक्षेप में समाचार**
27 **आगामी कार्यक्रम**
27 **नवंबर 2025 में शिकायतें**

RNI No. 61957/95

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

मासिक विवरण

एनएचआरसी, भारत के न्यूज़लेटर 'मानव अधिकार' का दिसंबर अंक आयोग की विविध पहलों और राष्ट्र के मानव अधिकार ढाँचे को मज़बूत बनाने की दिशा में हुई सामूहिक प्रगति का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इस महीने के घटनाक्रम दर्शाते हैं कि कैसे जनसंपर्क, मॉनीटरिंग, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जाँच और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता, गरिमा, न्याय और जवाबदेही के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं।

इस अवधि की एक प्रमुख उपलब्धि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 30वीं एनएचआरसी वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता रही है, जो कर्मियों को कर्तव्य और मानव अधिकारों के बीच परस्पर संबंध पर सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। एक प्रतिस्पर्धी अभ्यास होने के अलावा, यह देश के सुरक्षा बलों के भीतर आत्म-चिंतन और संवाद के लिए एक सार्थक मंच बना हुआ है, जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ परिचालन जिम्मेदारियों के संतुलन के महत्व की पुष्टि करता है।

इन कार्यों के समानांतर, आयोग ने विभिन्न माध्यमों से रिपोर्ट की गई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने के अपने मूल कार्य को जारी रखा। कई मामलों में राहत के लिए सिफ़ारिशें जारी की गईं और आयोग ने जवाबदेही और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवज़े की बारीकी से निगरानी की। इस संस्करण में ऐसे केस स्टडीज़ प्रस्तुत किए गए हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे त्वरित हस्तक्षेप संकट को कम कर सकता है, भविष्य में उल्लंघनों को रोक सकता है और अधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित लोगों की सहायता कर सकता है। तत्काल सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों में, आयोग ने घटनास्थल पर जाकर पूछताछ भी की, जिससे त्वरित और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता रेखांकित हुई।

इन अन्वेषी प्रयासों के पूरक के रूप में, आयोग के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरे, जमीनी हकीकत का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिरासत संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और अन्य प्रतिष्ठानों के इन दौरों से व्यवस्थागत चुनौतियों की जानकारी मिली और साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ सीधा संवाद संभव हुआ। इस तरह की बातचीत संस्थागत तंत्र को मज़बूत करने और देश भर में मानव अधिकार मानकों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने में मदद करती है।

इस महीने क्षमता निर्माण पहलों में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी गई, जो आयोग के इस विश्वास को दर्शाती है कि अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और शिक्षा आवश्यक है। ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम ने विविध विषयों के छात्रों को प्रोत्साहित करना जारी रखा और उन्हें संवैधानिक मूल्यों और मानव अधिकार संरक्षण के व्यावहारिक पहलुओं का एक संरचित परिचय प्रदान किया। सरकारी अधिकारियों, कानून प्रवर्तन कर्मियों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने हिरासत के अधिकार, लैंगिक न्याय और सेवा वितरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर समझ को गहरा करने में मदद की। ज्ञानार्जन दौरों के माध्यम से मानव अधिकार संस्थानों के कामकाज को बारीकी से समझकर प्रतिभागियों के ज्ञान को और समृद्ध किया गया, जबकि मूट कोर्ट प्रतियोगिता ने महत्वाकांक्षी कानूनी पेशेवरों के बीच विश्लेषणात्मक सोच और वकालत कौशल को बढ़ावा दिया। ये कार्यक्रम मिलकर संस्थागत तत्परता को मजबूत करते हैं तथा मानव अधिकार चुनौतियों से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं।

आयोग ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए कई प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं। पुरस्कार वितरण समारोह 4 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। आयोग के कर्मचारियों को अपने आधिकारिक संचार में हिंदी का प्रयोग करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया जाता है। यह देखकर बहुत खुशी होगी कि वे विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीख रहे हैं और आधिकारिक संचार में उन क्षेत्रों में उनका प्रयोग कर रहे हैं जहाँ इन्हें सबसे अधिक समझा जाता है, जिससे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य को संचालित करने वाली सेवा और समर्पण की भावना को बल मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में, आयोग ने वैश्विक और क्षेत्रीय मानव अधिकार मंचों के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाए रखा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन के नेतृत्व में एशिया प्रशांत मंच की वार्षिक आम बैठक और फिजी में द्विवार्षिक सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी ने आयोग को पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को मज़बूत बनाने पर सहयोगात्मक विचार-विमर्श में योगदान करने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेपाल के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल का भी स्वागत किया और एक अत्यंत सार्थक संवाद हुआ। इसी प्रकार, मानव अधिकारों के लिए स्वीडन के राजदूत ने भारत में स्वीडन के राजदूत के साथ आयोग का दौरा किया और आज की दुनिया में मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया। 21 नवंबर 2025 को, मैंने संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ यूरोपीय संघ के राजदूत और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूतों और राजनयिकों के साथ भी बातचीत की। मैंने अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के प्रतिनिधिमंडल से भी बातचीत की। आयोग ने विभिन्न देशों के एनएचआरआई के साथ अपनी बातचीत और ऑनलाइन बैठकें जारी रखीं, जिससे सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा मिली जिससे सहयोग में वृद्धि हुई। ये सहभागिताएँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श में योगदानकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती हैं।

इस न्यूज़लेटर में विभिन्न राज्य मानव अधिकार आयोगों से प्राप्त महत्वपूर्ण अपडेट भी शामिल हैं, जिनका क्षेत्रीय स्तर पर कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि अधिकारों की सुरक्षा ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हो। उनकी पहल, हस्तक्षेप और जागरूकता कार्यक्रम मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए विभिन्न संस्थानों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस माह के संक्षेप में समाचार अपडेट आयोग की प्रमुख गतिविधियों की झलकियाँ प्रस्तुत करते हैं।

अंत में, नवंबर 2025 में प्राप्त शिकायतों का सांख्यिकीय विवरण रुझानों और आवर्ती मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे आयोग की कार्यप्रणाली में जनता के विश्वास की पुष्टि होती है और भविष्य में हस्तक्षेप करने में मदद मिलती है।

जैसे से ही हम नए साल में कदम रख रहे हैं, एनएचआरसी अधिकारों की सुरक्षा, जवाबदेही को बढ़ावा देने और एक ऐसे वातावरण का पोषण करने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है जहां सम्मान, संवेदनशीलता और निष्पक्षता संस्थागत और सामाजिक आचरण का मार्गदर्शन करती रहे। यह संस्करण उस निरंतर यात्रा के प्रमाण के रूप में और सभी हितधारकों के लिए देश के मानव अधिकार परिदृश्य को मजबूत करने के सामूहिक प्रयास में लगे रहने के निमंत्रण के रूप में कार्य करता है।

भरत लाल
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रिपोर्ट

सीएपीएफ के लिए 30वीं एनएचआरसी वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संयुक्त तत्वाधान में एक वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। अर्धसैनिक बलों में से एक पिछले तीन दशकों से लगातार आयोजित की जा रही इस वाद-विवाद प्रतियोगिता का 30वाँ संस्करण सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के संयुक्त तत्वाधान में 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

प्रतियोगिता का विषय था, 'राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से समझौता किए बिना अर्धसैनिक बलों द्वारा मानव अधिकारों का पालन किया जा सकता है। सेमीफाइनल और जोनल राउंड के बाद अंतिम राउंड में 16 प्रतिभागियों ने हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बहस की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में रनिंग ट्रॉफी जीती। व्यक्तिगत सम्मानों में, हिंदी में वाद-विवाद का प्रथम पुरस्कार श्री मयंक वर्मा, सहायक कमांडेंट, सीआईएसएफ

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमणयन, सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी; महासचिव श्री भरत लाल; महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आनंद स्वरुप; एसएसबी की विशेष महानिदेशक श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र; जूरी के दो सदस्य, बीपीआर एवं विकास की पूर्व महानिदेशक डॉ. मीरान चड्ढा बोरवंकर और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर की निदेशक प्रोफेसर रजनी अब्बी और वरिष्ठ अधिकारी, सीआईएसएफ की रनिंग ट्रॉफी विजेता टीम के साथ।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

को और अंग्रेजी में सुश्री अरुंधति वी., सहायक कमांडेंट, सीआईएसएफ को मिला। हिंदी में द्वितीय पुरस्कार श्री दीपक सिंह यादव, रिक्रूट जनरल ड्यूटी, असम राइफल्स को और अंग्रेजी में मेजर आदित्य पाटिल, असम राइफल्स को मिला। हिंदी में तृतीय पुरस्कार श्री आशुतोष सिंह, कांस्टेबल, बीएसएफ को और अंग्रेजी में श्री नरेश चंद्र बजेठा, सहायक कमांडेंट, एनएसजी को मिला। प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के अलावा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 12,000/- रुपये, 10,000/- रुपये और 8,000/- रुपये के नकद पुरस्कार भी दिए गए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने इस विषय पर सभी 16 प्रतिभागियों के बेबाक विचारों के लिए उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि वे सभी विजेता बनने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इस पहल का उद्देश्य सशस्त्र बलों को मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से अपने कर्तव्यों पर विचार करने का एक मंच प्रदान करना है।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों में संतुलन ही कर्तव्य का सार है। उन्होंने कहा कि यह कहना कि मानव अधिकारों का पालन केवल राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से समझौता करके ही किया जा सकता है, तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सशस्त्र कार्रवाई के दौरान मानव अधिकारों की चिंताओं को लेकर बहस नई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है। इस संबंध में उन्होंने रामायण और महाभारत के उदाहरण दिए।

इससे पहले, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी और निर्णायक मंडल की प्रमुख ने कहा कि सुरक्षा और मानव अधिकार परस्पर विरोधी अवधारणाएँ नहीं हैं। ये पूरक स्तंभ हैं जो हमारे लोकतंत्र को एक सूत्र में पिरोते हैं। यह प्रतियोगिता केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। यह उस बौद्धिक शक्ति, नैतिक साहस और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाती है जिन पर हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गर्व करते हैं।

अपने संबोधन में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने कहा कि पुलिस बलों के कर्तव्य और मानव अधिकारों के संरक्षण में कोई विरोधाभास नहीं है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय की संवैधानिक गारंटी तभी प्राप्त की जा सकती है जब सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे, जिसे सुरक्षा बलों से बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि सत्ता के साथ बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है और सशस्त्र बल एक ऐसा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहाँ लोगों के जीवन और अधिकारों की रक्षा हो।

एसएसबी की विशेष महानिदेशक श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्रा ने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी और जूरी की प्रमुख अपना भाषण देते हुए।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल सभा को संबोधित करते हुए।

▶ एसएसबी की विशेष महानिदेशक श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र अपना व्याख्यान देते हुए

की और कहा कि उन्होंने बहस के दौरान स्पष्टता के साथ अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पिछले 30 वर्षों से लगातार अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आठ क्षेत्रीय राउंड, सेमीफाइनल और फाइनल के साथ वाद-विवाद आयोजित करने की प्रणाली का पालन करते हुए इस आयोजन की सफलता का उल्लेख किया। यह प्रक्रिया आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत अधिक गुंजाइश पैदा करती है और सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य निर्वहन में स्पष्टता की आवश्यकता होती है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आनंद स्वरूप, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह, निर्णायक मंडल के दो सदस्य, जिनमें पूर्व महानिदेशक, बीपीआरएंडडी, डॉ. मीरान चड्ढा बोरवणकर और दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, अन्य वरिष्ठ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिकारी और सीएपीएफ कर्मी उपस्थित थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री हरि लाल चौहान ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

▶ प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों का समूह

स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु मीडिया रिपोर्ट्स एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने ऐसे कई मुद्दों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को राहत पहुँचाई है। नवंबर 2025 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 06 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस जारी किए। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

हाईटेंशन तार छूने से बस में लगी आग

(केस संख्या 3553/20/14/2025)

29 अक्टूबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि 50 से ज़्यादा मज़दूरों को ले जा रही एक निजी बस में ऊपर से गुज़र रहे 11 किलोवाट के बिजली के तार से टकराने के बाद आग लग गई, जिससे दो मज़दूरों की मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए। यह घटना जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर मनोहरपुर गाँव के पास हुई जब बस ऊपर से गुज़र रहे हाईटेंशन तार से टकरा गई। मज़दूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले से राजस्थान के एक ईंट भट्टे पर काम करने जा रहे थे। आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

गंभीर विदाई भ्रष्टाचार के दुःस्वप्न में बदल गई

(केस संख्या 1113/10/1/2025)

30 अक्टूबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि अपनी इकलौती बेटी की मौत का शोक मनाते हुए, एक 64 वर्षीय पिता को हर कदम पर रिश्वत देनी पड़ी, जिसमें बेंगलुरु, कर्नाटक में एक एम्बुलेंस चालक, पुलिस, श्मशान घाट के कर्मचारी और नगर निगम के अधिकारी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो एक गंभीर विदाई होनी चाहिए थी, वह भ्रष्टाचार, नौकरशाही और अमानवीयता के दु:स्वप्न में बदल गई। आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

कथित तौर पर, शहर में काम करने वाली एक आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद स्नातक महिला को 18 सितंबर 2025 को ब्रेन हेमरेज हुआ। जब पिता ने अपनी बेटी की मौत के बाद एम्बुलेंस बुलाई, तो एम्बुलेंस चालक ने सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसे वसूल लिए। जब उन्होंने अपनी बेटी की मौत की सूचना पुलिस को दी, तो उन्होंने न केवल असहानुभूति दिखाई, बल्कि रिश्वत देने के बाद ही एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां दीं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के परिवार ने दाह संस्कार से पहले लड़की की आँखें दान कर दीं। श्मशान घाट पर फिर से पैसे मांगे गए, जो पिता ने चुका दिए। महादेवपुरा नगर निगम अधिकारियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में भी काफ़ी देरी हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप के बावजूद, पिता द्वारा रिश्वत देने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया गया।

लिफ्ट का रखरखाव न होने के कारण मौत

(केस संख्या 403/9/5/2025)

6 नवंबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि जम्मू के एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में लिफ्ट के रखरखाव में अधिकारियों की लापरवाही के कारण 58 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ीं, लिफ्ट अचानक तेज़ गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उसके रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि घटना के समय कोई लिफ्ट ऑपरेटर या सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने लिफ्ट में तकनीकी खराबी के बारे में कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया।

शवगृह में शवों को कुतरते चूहे

(केस संख्या 2719/7/8/2025)

12 नवंबर 2025 को मीडिया में खबर आई कि हरियाणा के जींद स्थित नरवाना सिविल अस्पताल के शवगृह में चूहों ने एक शव को कुतर दिया। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल के शवगृह में पहले भी ऐसी ही घटनाएँ हो चुकी हैं। आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने शवगृह के फ्रीजर की मरम्मत के लिए संबंधित कंपनी से शिकायत की थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल, फ्रीजर में चूहों के प्रवेश को रोकने के लिए एक अस्थायी जाली लगाई गई है।

गैंग रेप पीड़िता को जान से मारने की धमकी

(केस संख्या24142/24/54/2025-डब्ल्यूसी)

15 नवंबर 2025 को, मीडिया ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा शहर में गैंग रेप पीड़िता को उसके छह दोषियों में से चार की गिरफ्तारी के बाद मिली जान से मारने की धमकियों पर पुलिस की निष्क्रियता की खबर दी। बताया गया है कि जब नाबालिग पीड़िता मेरठ मंडल के पुलिस उपमहानिरीक्षक से मिलकर अपनी आपबीती बताने की कोशिश कर रही थी, तो पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की भी कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने उसकी बात सुनी। उन्होंने मामले की जाँच के आदेश दिए और लापरवाही के लिए खुर्जा थाने के प्रभारी को पुलिस लाइन में अटैच कर दिया। आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

कथित तौर पर, जून 2025 में छह अपराधियों ने दो दिनों तक लड़की का यौन शोषण किया। इस मामले में 10 जून 2025 को खुर्जा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन दो अन्य अपराधी भागने में सफल रहे।

गैंग रेप के मामले में पुलिस की निष्क्रियता

(केस संख्या 24143/24/18/2025-डब्ल्यूसी)

17 नवंबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक पुलिस चौकी में एक गैंग रेप पीड़िता के पति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। कथित तौर पर, पुलिसकर्मियों ने पीड़िता से उसके पति को रिहा करने के बदले 1.2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और 50,000 रुपये की आंशिक राशि भी प्राप्त की। कथित तौर पर, जिले के खुर्जा थाने के एसएचओ ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न भी किया। आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला 2024 में अपने पति के एक दोस्त के बुलावे पर अलीगढ़ में एक प्रदर्शनी देखने गई थी। वहाँ उसे नशे की हालत में उसके पति के दोस्त ने उसे डेढ़ महीने तक बंधक बनाकर गैंग रेप किया। उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। पीड़िता किसी तरह अपने साथ हुए दुष्कर्मियों से बचकर पुलिस चौकी पहुँची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसके पति को बुलाया, जिसने पहले अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन उसके और पुलिसवालों के बीच कुछ बहस हो गई, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया।

राहत के लिए सिफारिशें

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की प्राथमिक ज़िम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफ़ारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों की सुनवाई करता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफ़ारिशें देता है। नवंबर 2025 में, सदस्य बेंचों द्वारा प्रतिदिन लिए गए मामलों के अलावा, पूर्ण आयोग द्वारा 16 मामलों और डिवीजन बेंच- II द्वारा 50 मामलों की सुनवाई की गई। चार मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम परिजनों (NoK) के लिए 18 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई। जिसमें पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकार का उल्लंघन किया है या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती है। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	128/6/6/2024-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	गुजरात सरकार
2.	639/6/14/2022-एडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	गुजरात सरकार
3.	33038/24/17/2022- एडी	पुलिस हिरासत में मौत	3.00	उत्तर प्रदेश सरकार
4.	24279/24/4/2024	असंगठित क्षेत्र में मृत्यु/चोट	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

नवंबर 2025 के दौरान, आयोग ने चार मामलों को या तो अनुपालन रिपोर्ट और लोक प्राधिकारियों से भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियाँ/निर्देश देकर बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके निकटतम परिजनों (NoK) को 29 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	1581/1/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार
2.	3900/4/1/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	बिहार सरकार
3.	315/30/0/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	7.00	दिल्ली सरकार
4.	31/15/11/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	12.00	मेघालय सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य प्राधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, केस-दर-केस आधार पर, आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा कि क्यों न मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत देने की सिफारिश की जाए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के राज्यों के दृष्टिकोण की खूबियों ने आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत देने की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया। आयोग को संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपनी सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

जेल कर्मचारियों की लापरवाही

(केस संख्या 31/15/11/2022-जेसीडी)

यह केस 2022 में मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स ज़िले में स्थित ज़िला कारागार एवं सुधार गृह से भागते समय मॉब लिंचिंग में चार विचाराधीन कैदियों की मौत से संबंधित था। उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि जेल कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बरती गई थी। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि मेघालय सरकार सभी चार मृतक कैदियों के परिजनों को 3-3 लाख रुपये की राहत राशि दे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

उचित चिकित्सा देखभाल का अभाव

(केस संख्या 1581/1/5/2023-जेसीडी)

यह केस 2023 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी स्थित राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में एक 41 वर्षीय सजायाफ्ता कैदी की हिरासत में हुई मौत से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त नोटिसों के जवाब में प्राप्त सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि बेहतर इलाज के अभाव में कैदी की तबीयत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। राज्य सरकार अपनी हिरासत में कैदी की देखभाल करने के अपने कर्तव्य में विफल रही। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि आंध्र प्रदेश सरकार मृतक के निकट संबंधी को 7 लाख रुपये की राहत राशि दे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

समय पर चिकित्सा देने में लापरवाही

(केस संख्या 174/7/15/2020-जेसीडी)

यह केस 2020 में हरियाणा के पानीपत स्थित जिला कारागार में बंद एक 19 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मृत्यु से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त नोटिसों के आधार पर, आयोग ने पाया कि समय पर चिकित्सा उपचार न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हुई। मधुमेह के नियंत्रण के लिए उसे इंसुलिन की कम से कम तीन खुराक की आवश्यकता थी। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना था कि उसकी मृत्यु डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और उसकी जटिलताओं के कारण हुई। इसलिए, राज्य सरकार को अपने जेल कर्मचारियों की लापरवाही के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि हरियाणा सरकार मृतक के निकट संबंधी को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया। आयोग को यह भी बताया गया कि दोषी जेल अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की गई है।

विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस संख्या 1707/4/9/2020-एडी)

केस 2020 में सेंट्रल जेल, बेतिया, चंपारण पश्चिम बिहार में एक 23 वर्षीय विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। मोबाइल चोरी से संबंधित एक मामले में उसे 30 सितंबर 2019 को मंडलकारा कारागार, बेतिया में भर्ती कराया गया था। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि उसने दिनदहाड़े अपने गमछे की मदद से जेल वार्ड के गेट से लटक कर आत्महत्या कर ली। यह स्पष्ट रूप से जेल अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है, जिन्होंने वार्ड को लावारिस छोड़ दिया था। इसलिए, राज्य को अपने जेल कर्मचारियों की लापरवाही के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि बिहार सरकार उसके निकटतम संबंधी को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जो भुगतान कर दिया गया।

रेलवे स्टेशन पर टिन शेड गिरने से मौत

(केस संख्या 24279/24/4/2024)

यह केस 2024 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर एक टिन शेड गिरने से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत और एक अन्य के गंभीर रूप से घायल होने से संबंधित है। आयोग के नोटिस के जवाब में, अधिकारियों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि यह घटना भारी वर्षा के कारण हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। जवाब से संतुष्ट न होते हुए, आयोग ने माना कि अगर रेलवे ने समय पर सुरक्षा उपाय किए होते, खासकर मानसून के मौसम को देखते हुए, तो यह हादसा टाला जा सकता था। तदनुसार, आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि मृतक के निकट संबंधी को 5 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने की सिफारिश क्यों न की जाए।

घटनास्थल पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत समय-समय पर मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की घटनास्थल पर जाँच करने के लिए अपने जाँच अधिकारियों की एक टीम नियुक्त करता है। नवंबर 2025 में निम्नलिखित घटनास्थल पर जाँच की गई:

(केस संख्या 2363/25/5/2024)

3 से 7 नवंबर 2025 तक, आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में न्याय की माँग कर रहे कोलकाता के आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस ने अत्यधिक और क्रूर बल प्रयोग किया, इस आरोप की घटनास्थल पर जाकर जाँच की गई। 200 से ज़्यादा छात्रों को कथित तौर पर गिरफ़्तार किया गया और उन पर क्रूर शारीरिक हमला किया गया।

(केस संख्या 1423/36/2/2025)

4 से 7 नवंबर 2025 तक, हैदराबाद के सादाबाद में राज्य संचालित किशोर कल्याण और सुधार केंद्र में यौन शोषण के आरोप की घटनास्थल पर जाकर जांच की गई।

(केस संख्या 546/22/13/2025)

10 से 14 नवंबर 2025 तक, चेन्नई, तमिलनाडु में पीड़िता द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बदले में पुलिस आयुक्त के इशारे पर झूठे आरोप लगाने, गिरफ्तारी और यातना देने के आरोप की घटनास्थल पर जाकर जांच की गई।

(केस संख्या 2195/1/27/2025)

10 से 14 नवंबर 2025 तक, इस आरोप की घटनास्थल पर ही जाँच की गई कि आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले के कुरुपम क्षेत्र में स्थित आदिवासी कल्याण आवासीय बालिका विद्यालय में मल-दूषित पानी पीने से कई अनुसूचित जनजाति की छात्राएँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। कथित तौर पर, कुछ छात्राओं की मृत्यु भी हो गई।

(केस संख्या 4762/30/8/2025)

12-13 नवंबर 2025 को, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव न किए जाने और सामान्य क्षेत्रों के अनधिकृत उपयोग के कारण हुडको प्लेस एक्सटेंशन, नई दिल्ली के जीपीआरए क्षेत्र में गंभीर सार्वजनिक उपद्रव, प्रदूषण और सुरक्षा खतरों के आरोपों की घटनास्थल पर जाकर जांच की गई।

(केस संख्या 1466/7/5/2022)

13-14 नवंबर 2025 तक, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बंधवारी गांव में एक लैंडफिल साइट पर अनुपचारित कचरे को डंप करने के आरोप की घटनास्थल पर जाकर जांच की गई, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हुआ।

(केस संख्या 4228/4/10/2025-डीएच)

बिहार के दरभंगा स्थित एक सरकारी बाल गृह में एक नाबालिग लड़के की हिरासत में हुई मौत की 17 से 21 नवंबर 2025 तक घटनास्थल पर जाकर जाँच की गई। वह संदिग्ध परिस्थितियों में बाल गृह के शौचालय में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। कथित तौर पर, लड़के को एक आपराधिक मामले में शामिल होने के कारण बाल गृह में रखा गया था।

(केस संख्या 312/36/2/2025)

17-21 नवंबर 2025 तक, हैदराबाद, तेलंगाना में सरकारी अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के आवश्यक सत्यापन के बिना नए स्कूल चलाए जाने के आरोप की घटनास्थल पर ही जांच की गई।

(केस संख्या 3606/30/9/2025)

24-27 नवंबर 2025 तक, पश्चिम विहार, नई दिल्ली में एक अस्पताल के बेसमेंट में कार्बन अपशिष्ट उपचार टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से दो मजदूरों की मौत के आरोप की घटनास्थल पर जाकर जांच की गई।

क्षेत्रीय दौरे

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी राजकोट, गुजरात में आंगनवाड़ी शिक्षकों के साथ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति और राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयोग के परामर्शों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जा सके। वे आश्रय गृहों, कारागारों और पर्यवेक्षण गृहों का भी दौरा करते हैं ताकि सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन दौरों में, राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी अधिकारियों को प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का शीघ्र समाधान करने में मदद मिलती है।

18 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की भारत सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने गुजरात के राजकोट में आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं से बातचीत की। उन्होंने पाया कि उन पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, वेतन कम है, सुविधाएँ खराब हैं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक आंगनवाड़ी शिक्षिका लगभग 1,500 घरों की ज़िम्मेदारी संभालती है और उनमें से प्रत्येक लगभग 75-80 बच्चों को संभालती है, जो अन्य जगहों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने राजकोट स्थित बालिका आश्रय गृह का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि वहाँ की सुविधाएँ अच्छी तरह से रखी गई हैं, बुनियादी ढाँचा अच्छा है और साफ़-सफ़ाई भी अच्छी है। यहाँ लगभग 40 बच्चे रहते हैं। उन्होंने उनकी शिकायतें भी सुनीं।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन तथा उनके प्रति जागरूकता पैदा करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य से, यह विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए अपनी पहुँच बढ़ाने और मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और मूट कोर्ट सहित विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र दिल्ली में अपनी यात्रा और प्रवास का कोई खर्च उठाए बिना इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 10 से 21 नवंबर 2025 तक 2025-26 के अपने चौथे ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) का आयोजन किया। एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने उद्घाटन भाषण दिया। 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 80 विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने समापन भाषण में, श्री लाल ने प्रशिक्षुओं को बधाई दी और कहा कि इतने सारे आवेदकों में से चुने गए 80 छात्रों को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों से बातचीत करने का यह अवसर पाकर खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। उन्होंने उनसे मानव अधिकार राजदूत के रूप में विकसित होने और आयोग के साथ इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त ज्ञान और मूल्यों को आत्मसात करके मानव अधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त करने के लिए जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया।

उन्होंने प्रशिक्षुओं को याद दिलाया कि मानव अधिकारों को आत्मसात करना होगा और अपने दैनिक आचरण में उनका पालन करना होगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल एक बेहतर इंसान ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है, और इसकी शुरुआत एक ऐसे चरित्र के निर्माण से होती है जो अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों के प्रति जागरूक, सम्मानजनक और संवेदनशील हो।

श्री लाल ने कहा कि समाज का हर वर्ग अपने बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करके

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ओएसटीआई के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए।

▶ एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक इंटर्नशिप रिपोर्ट पेश करते हुए

सम्मानजनक जीवन जी सकता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का अध्ययन करने का भी आग्रह किया ताकि वे इस बात पर विचार कर सकें कि वे मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के विचार को और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे और कहाँ आगे बढ़ा सकते हैं।

इससे पहले, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस इंटर्नशिप में मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा 46 सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षुओं की क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित कई प्रतियोगिताओं के परिणामों की भी घोषणा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 1 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत ने आयोग के सहयोग से भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित न्यायिक अधिकारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की आत्मा सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय है। इन संवैधानिक गारंटियों और 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के अनुरूप, 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की स्थापना की गई, जो अधिकारों की रक्षा, न्याय सुनिश्चित करने और मानव अधिकार नीतियों के मार्गदर्शन में एक मील का पत्थर है।

  श्री लाल ने आगे कहा कि भारत की मानव अधिकार यात्रा 1948 से बहुत पहले ही देश के सहानुभूति और करुणा के प्राचीन आदर्शों से शुरू हो गई थी। राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले और पेरियार जैसे सुधारकों ने लोगों के समानता और सम्मान के अधिकार के लिए काम किया। ये संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न व्यवधान, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार और भीड़भाड़ वाली जेलों के कारण मानव अधिकारों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इनमें से कुछ हैं। न्यायिक अधिकारी आशा की किरण बनकर खड़े हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय दूर नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। उन्होंने उनसे बेजुबानों की आवाज़ बनने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका' विषय पर एक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सभी के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोग की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

- 7 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने जयपुर, राजस्थान में 'दिव्यांग व्यक्तियों की

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, नई दिल्ली स्थित आईएलआई में न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मे उद्घाटन भाषण देते हुए

एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, नई दिल्ली स्थित आईएलआई में एक सत्र को संबोधित करते हुए।

क्षमताओं का सशक्तिकरण, उनके अधिकारों का संवर्धन' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। इसका आयोजन मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोग के सहयोग से किया गया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना मानव अधिकारों की रक्षा का अभिन्न अंग है। अरुणिमा सिन्हा और महंतेश जी. किवादासन्नवर का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि समावेशिता किस प्रकार क्षमता को उपलब्धियों में बदल देती है।

श्रीमती विजया भारती सयानी ने ज़ोर देकर कहा कि भारत की सच्ची प्रगति इस बात से मापी जाएगी कि वह अपने 2.68 करोड़ दिव्यांग नागरिकों को किस तरह समावेशी रूप से सशक्त बनाता है ताकि वे अपनी प्रतिभा, शक्ति और दूरदर्शिता से योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत उनके अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूडीआईडी कार्ड, एडीआईपी योजना और पर्पल फेस्ट जैसे सकारात्मक कदमों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल पहुँच में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उन्होंने एक समावेशी भारत के निर्माण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया - जहाँ हर रैंप अवसरों का मार्ग बने और हर व्यक्ति शक्ति और सम्मान का प्रतीक हो।

एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने जयपुर, राजस्थान में 'दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों को आगे बढ़ाना' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए

- 7 नवंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के एसएसपी, श्री हरि लाल चौहान ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में दिल्ली पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग अकादमी में 'आयोग में रिपोर्ट और पूछताछ का मसौदा तैयार करना' पर एक व्याख्यान दिया।

- 13 नवंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के उप पुलिस अधीक्षक, श्री राजेंद्र सिंह ने सीआईएसएफ इकाई, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कानूनी कार्यशाला के दौरान 'मानव अधिकार' पर एक व्याख्यान दिया।

- 14 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA), देहरादून, उत्तराखंड में मध्य-कैरियर प्रशिक्षण (MCT) कार्यक्रम (चरण-III) में भाग ले रहे भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहानुभूति, करुणा, गरिमा और अहिंसा में निहित भारत के सभ्यतागत लोकाचार मानव अधिकारों के दृष्टिकोण को आकार देते रहे हैं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी प्राचीन विद्वानों के योगदान और डॉ. हंसा मेहता एवं लक्ष्मी मेनन के वैश्विक हस्तक्षेप ने इस विरासत को कायम रखा है।

श्री लाल ने कहा कि भारत की मानवीय परंपरा शरणार्थियों को स्वीकार करने में परिलक्षित होती है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलिश बच्चे, 1959 में तिब्बती शरणार्थी और पूर्वी पाकिस्तान, अफ्रीका, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष से भाग रहे लोग शामिल हैं। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा सुदृढ़ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से मानव अधिकारों को

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, आईएनजीएफए, देहरादून, भारत में आईएफएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए।

अपने मूल में रखता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा सशक्त न्यायपालिका, संवैधानिक उपचारों, रिट और जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है। उन्होंने रेखांकित किया कि एनएचआरसी, राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) और राष्ट्रीय आयोग कमजोर समूहों की रक्षा करते हैं। आयोग मानव गरिमा की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए नागरिक समाज और वैश्विक निकायों के साथ सहयोग करता है।

उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह नेतृत्व के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानवीय शासन लोगों की वास्तविक वास्तविकताओं पर केंद्रित होना चाहिए। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के बजाय, विचारशील चिंतन स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने उद्देश्यपूर्ण और साहसी कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

- 14 नवंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के एसएसपी, श्री हरि लाल चौहान ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रशिक्षण केंद्र, राजिंदर नगर, नई दिल्ली में इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसीएसपी, अतिरिक्त डीसीएसपी और डीसीएसपी के लिए 'अपराध रोकथाम और सार्वजनिक सुरक्षा' पर एक व्याख्यान दिया।

- 14 नवंबर 2025 को, एनएचआरसी के उप पुलिस अधीक्षक, श्री कुलबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस अकादमी, राजिंदर नगर, नई दिल्ली में कांस्टेबलों से लेकर एएसआई तक के लिए आयोजित कार्यशाला में मानव अधिकारों के संरक्षण और एनएचआरसी की भूमिका, पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में पूछताछ की प्रक्रिया और मुठभेड़ में हुई मौतों पर एनएचआरसी के दिशानिर्देशों पर व्याख्यान दिया।

- 18 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने गुजरात के राजकोट स्थित आत्मीय विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में 'महिला अधिकार' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 300 महिलाओं ने भाग लिया।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी, राजकोट, गुजरात स्थित आत्मिया विश्वविद्यालय के मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय में 'महिला अधिकार' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

▶ प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक परिदृश्य

- 21 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित धनिखाली गाँव के शरत शताब्दी महाविद्यालय में 'महिला, जीवन और सम्मान का उत्सव' विषय पर एक व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा समर्थित किया गया था। उन्होंने घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव, हिंसा, असमानता और सुरक्षा सहित महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने से राष्ट्र मजबूत होता है और उन्होंने सभी से एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्मान और समान गरिमा प्राप्त हो।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धानीखाली गांव स्थित सरत शताब्दी महाविद्यालय में 'महिलाओं, जीवन और गरिमा का उत्सव' विषय पर व्याख्यान देते हुए।

- 26 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय और नर्सिंग स्कूल, एयूएस, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित 'स्वास्थ्य का अधिकार: एचआईवी और एड्स' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए एक संदेश भेजा। इस कार्यशाला का समर्थन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने किया था। अपने संदेश में, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वास्थ्य का अधिकार मानव गरिमा और मौलिक अधिकारों का मूल है।

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने एचआईवी-एड्स पीड़ितों के साथ व्यवहार में व्यापक जागरूकता, सटीक जानकारी और अधिकार-आधारित

दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एचआईवी-एड्स से प्रभावित सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, न्याय और समान उपचार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया, साथ ही संवाद को बढ़ावा देने और संस्थागत क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। लगभग 200 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

- 29 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने वीएसबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा आयोजित 'महिला अधिकार' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा समर्थित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 200 छात्राओं ने भाग लिया।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी, तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित वी.एस.बी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित 'महिला अधिकार' प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

ज्ञानार्जन दौरे

कॉलेज स्तर के छात्रों और उनके शिक्षकों में मानव अधिकार जागरूकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उन्हें मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के अनुसार इसकी कार्यप्रणाली को समझने हेतु आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आयोग के विधि प्रभाग, अन्वेषण प्रभागों और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी दी। निम्नलिखित संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों ने आयोग का दौरा किया:

12 नवंबर 2025 को, दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय, लॉ सेंटर-II से 100 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक बैच।

14 नवंबर 2025 को, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से 65 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक बैच।

19 नवंबर 2025 को, नवसंवत लॉ कॉलेज, उज्जैन, मध्य प्रदेश से 25 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक बैच और जेआईएमएसईएमटीसी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से 26 छात्रों और एक संकाय सदस्य का एक बैच।

28 नवंबर 2025 को, स्कूल ऑफ लॉ, डॉ. विश्वनाथ कराड एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र से 42 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक बैच।

मूट कोर्ट प्रतियोगिता

सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज और स्कूल ऑफ लॉ, नरेला, दिल्ली ने 14-15 नवंबर 2025 को एक संयुक्त राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 और 'समकालीन युग में मानव अधिकार: गंभीर चिंताएँ और वैश्विक गतिशीलता' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

पुरस्कार

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्यगण, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव, श्री भरत लाल की उपस्थिति में हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन पुरस्कार वितरण समारोह को सम्बोधित करते हुए।

▶ हिंदी पखवाड़े की प्रतियोगिताओं के विजेता

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने 15 सितंबर 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव, श्री भरत लाल, रजिस्ट्रार (कानून), श्री जोगिंदर सिंह, संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया।

अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव और संयुक्त सचिव ने अपने भाषणों में कर्मचारियों को अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह भी कहा गया कि हिंदीतक भाषी क्षेत्रों में आयोजित आयोग के कार्यक्रमों में स्थानीय भाषाओं के कुछ शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

बाद में, 4 नवंबर 2025 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में, अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब हम किसी भाषा से प्रेम करते हैं, तो हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी पहचान का सार है।

उन्होंने कहा कि आज हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीयता का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि हिंदी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। समय के साथ, इसने न केवल समाज के साथ विकास किया है, बल्कि विज्ञान, साहित्य, प्रौद्योगिकी और प्रशासन जैसे विविध क्षेत्रों में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे पहले, सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि हिंदी संबंधी प्रतियोगिताओं का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों की भी अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि सरकारी संचार की व्यापक पहुँच के लिए, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का भी उपयोग किया जाना चाहिए जहाँ उन्हें सबसे अधिक समझा जाता है। उन्होंने कम से कम एक अतिरिक्त भाषा सीखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आनंद स्वरूप, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु इसके कामकाज को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ बातचीत करने और तेज़ी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी जाते हैं।

फिजी में एपीएफ एजीएम और द्विवार्षिक सम्मेलन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 11 नवंबर 2025 को फिजी में आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के मानव अधिकार संस्थान चल रही गतिविधियों पर चर्चा करने, अनुभव साझा करने और भविष्य के कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए। एनएचआरसी, भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन , अध्यक्ष ने किया और इसमें संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार भी शामिल थे।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, फिजी में आयोजित एपीएफ के द्विवार्षिक सम्मेलन में भारत में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए

फिजी के कार्यवाहक राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सेलेसी टेमो ने द्विवार्षिक सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। वार्षिक आम बैठक का उद्घाटन फिजी के अपील न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इसिकेली मतातोगा और एपीएफ अध्यक्षा सुश्री समर हज हसन ने किया।

पूर्ण सत्र के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने लैंगिक समानता पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन और संरक्षण के लिए आयोग द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। आयोग ने प्रमुख अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्ष साझा किए, जिनमें संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आश्रय गृहों का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन और महिलाओं की श्रम बल में घटती भागीदारी पर एक अध्ययन शामिल है। इसने राष्ट्रीय सम्मेलनों, हानिकारक प्रथाओं पर जन चर्चाओं, विधवाओं के अधिकारों पर परामर्शी और कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा कार्यक्रमों जैसी पहलों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्रस्तुति में लापता लड़कियों और महिलाओं पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य, यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के प्रयास और कर्मचारियों के लिए नियमित लैंगिक संवेदनशीलता सत्रों को शामिल किया गया। इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने ट्रांसजेंडर समुदायों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, फिजी के कार्यवाहक राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सालेसी टेमो के साथ।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमणयन और संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार फिजी में आयोजित एपीएफ द्विवार्षिक सम्मेलन में सहभागिता देते हुए

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति और शेष चुनौतियों पर भाग लेने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरआई) के साथ एक रोचक चर्चा भी की। उन्होंने देश भर में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एनएचआरसी, भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने अन्य समकक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगों के साथ साझा प्रथाओं पर कई द्विपक्षीय चर्चाएँ भी कीं और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया।

वार्षिक आम बैठक का एक प्रमुख हिस्सा 2024-2025 के लिए एपीएफ की कार्य-निष्पादन रिपोर्ट थी, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान फोरम के कार्यों का अवलोकन प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें मानव अधिकार संस्थाओं को मज़बूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। एपीएफ ने लैंगिक समानता, जलवायु संबंधी मुद्दों और मानव अधिकार रक्षकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यों, जिनमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं, पर भी नवीनतम जानकारी साझा की।

वित्तीय अद्यतनों पर चर्चा की गई और सदस्यों ने 2024-2025 के लिए लेखापरीक्षित खातों को मंजूरी दी। अध्यक्ष को आधिकारिक वित्तीय घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया और संशोधित सदस्यता शुल्क को मंजूरी दी गई: 'ए' श्रेणी के सदस्यों के लिए 5,000 अमेरिकी डॉलर और 'बी' श्रेणी के सदस्यों के लिए 3,000 अमेरिकी डॉलर, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर छूट या कटौती का प्रावधान भी शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय सहभागिता के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) की ओर से अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसके बाद सदस्यों ने एक कार्य समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की, जो यह पता लगाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में चल रहे सुधारों में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं।

सामान्य चर्चा के दौरान, विश्व न्याय परियोजना ने थाईलैंड और मंगोलिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ अपने कार्यों के उदाहरण प्रस्तुत किए। सदस्यों ने इसे उपयोगी पाया और इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। न्यूज़ीलैंड मानव अधिकार आयोग द्वारा साझा की गई, फ़िलिस्तीन में मानव अधिकारों की स्थिति पर एक कार्य-प्रस्तावना को अपनाया गया।

वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों (एसईओ) की बैठक भी आयोजित की गई। श्री समीर कुमार ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के उन सभी देशों को शामिल करने के लिए एनएचआरआई के वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई) की सदस्यता का विस्तार करने का पुरज़ोर समर्थन किया जो अभी तक इसके सदस्य नहीं हैं। वर्तमान में, इस क्षेत्र के 48 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से केवल 27 ही जीएएनएचआरआई के सदस्य हैं।

▶ द्विवार्षिक सम्मेलन का परिदृश्य

वार्षिक आम बैठक का समापन एपीएफ निदेशक, श्री किरेन फिट्ज़पैट्रिक, जो 2025 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे, की सराहना और सुश्री थुई दोआन स्मिथ को नए निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई के साथ हुआ। एनएचआरसी में भारत की सक्रिय भागीदारी, जिसमें लैंगिक समानता पर प्रस्तुति भी शामिल है, मानव अधिकार कार्य को मज़बूत करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के साथ सहयोग करने की उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रतिनिधिमंडल का दौरा

- 17 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने स्वीडन की मानव अधिकार, लोकतंत्र और विधि के शासन के लिए राजदूत सुश्री इरिना स्कुलगिन न्योनी और भारत में स्वीडन के राजदूत महामहिम श्री जान थेस्लेफ़ की मेज़बानी की। उन्होंने अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल से मुलाकात की और मानव अधिकारों तथा उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। भारत और स्वीडन मानव अधिकारों , लोकतंत्र और विधि के शासन को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध हैं। इस बातचीत ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के आपसी संकल्प को और मजबूत किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

▶ स्वीडन प्रतिनिधिमंडल का दौरा

- 17 नवंबर 2025 को, नेपाल के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष न्यायमूर्ति टोप बहादुर मगर के नेतृत्व में और सचिव श्री मुरारी प्रसाद खरेल और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एनएचआरसी, भारत का दौरा किया। उन्होंने अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल से मुलाकात की और मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और अपने-अपने मानव अधिकार संस्थानों के कामकाज और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया। एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार उपस्थित थे। बाद में, आने वाले प्रतिनिधियों ने सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए संस्थागत प्रक्रियाओं और दृष्टिकोणों को समझने के लिए एनएचआरसी, भारत के विभिन्न प्रभागों के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने, दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि करने और दोनों देशों में मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में सहयोग को गहरा करने के ठोस रास्ते की पहचान करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया।

▶ नेपाल प्रतिनिधिमंडल का दौरा

अन्य महत्वपूर्ण विचार-विमर्श

यूरोपीय संघ के राजदूत और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूतों और राजनयिकों के साथ पारस्परिक सत्र

21 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ, नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के भारत में राजदूत श्री हर्वे डेल्फिन द्वारा आयोजित एक संवाद सत्र में शामिल हुए। इस सत्र में 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूत और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री लाल ने लोकतंत्र, विविधता और मानवीय गरिमा के साझा मूल्यों पर ज़ोर दिया जो भारत-यूरोपीय संघ सहयोग का मार्गदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने भारत में मानव अधिकारों के विकास का विवरण प्रस्तुत किया, जिसकी शुरुआत सभ्यतागत लोकाचार और स्वतंत्रता आंदोलन से हुई और जो संवैधानिक ढाँचे, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार निकायों के संस्थागत ढाँचे और विभिन्न क्षेत्रीय आयोगों के कामकाज तक पहुँच गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार के साथ नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के राजदूतों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए।

▶ चर्चा का परिदृश्य

श्री लाल ने न्यायपालिका की भूमिका, बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं पर सरकार के ध्यान और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध संस्थागत सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनएचआरसी इंडिया के कार्यों के बारे में भी बताया, जिसमें पर्यवेक्षण गृहों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और निरोध केंद्रों का निरीक्षण; पीड़ितों को मुआवज़ा; शिकायत प्रबंधन; आदेशों का प्रवर्तन और सिफारिशें व परामर्शी जारी करना शामिल है। उन्होंने विशेष मॉनीटर्स और विशेष प्रतिवेदकों के योगदान; मामलों में हालिया रुझान, स्वतः संज्ञान और मुआवज़े पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी प्रवर्तन के माध्यम से निजी क्षेत्र में मानव अधिकार उल्लंघनों के प्रति आयोग के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के साथ एनएचआरसी भारत के जुड़ाव; अग्रिम पंक्ति संवेदनशीलता और संस्थागत जवाबदेही जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और समानता एवं समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। सत्र का समापन आउटरीच, प्रशिक्षण और जन परामर्श परंपराओं पर सार्थक आदान-प्रदान के साथ हुआ।

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच

12 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (USISPF) के बोर्ड के साथ बातचीत की। उन्होंने जीवन की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण को मज़बूत करने, जीवन और व्यापार को आसान बनाने और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस सत्र का संचालन यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष और सीईओ श्री मुकेश अघी ने किया। इसमें कई प्रख्यात वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें श्री अमिताभ कांत, पूर्व G20 शेरपा और राजदूत, श्री तरनजीत सिंह संधू, और अन्य शामिल थे, जिन्होंने अपने विचार साझा किए।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल नई दिल्ली में यूएसआईएसपीएफ बोर्ड के साथ बातचीत करते हुए

श्री लाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में, भारत ने किस प्रकार कानूनों, नियमों और विनियमों को सरल बनाया है, नीतिगत पूर्वानुमान सुनिश्चित किया है और उद्यमिता, निवेश, दक्षता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए शासन को सुदृढ़ बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर, कई पुराने और अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा की गई है और उन्हें निरस्त किया गया है। सरकार सभी बुनियादी सुविधाओं और कुशल सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है ताकि लोग, विशेषकर युवा, उच्च लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। महिला कल्याण पर किए गए निवेश के अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्यों के एक संघ के रूप में, भारत में व्यापार करने में आसानी का सही पैमाना कंपनियों और नागरिकों के दैनिक अनुभवों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर महसूस किया जा सकता है। राज्य स्तर पर अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। ये सुधार निवेश के माहौल को और बेहतर बनाएंगे, व्यापक अवसर प्रदान करेंगे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे।

श्री लाल ने कहा कि एक जीवंत और विकासशील सभ्यता के रूप में, भारत मानव पूंजी में निवेश को अत्यधिक महत्व देता है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग सार्थक और सम्मानजनक जीवन जीएँ। आर्थिक विकास के साथ-साथ, देश श्रमिकों के अधिकारों, पर्यावरणीय स्थिरता, सुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दे रहा है। भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो एक ओर व्यावसायिक विकास को और दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकारों और जीवन की गुणवत्ता को समान महत्व देती हैं। उन्होंने कहा कि यह संतुलन भारत को निवेश और उद्यम के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बनाता है। भारत के लोग अपने मित्रों और साझेदारों को महत्व देते हैं। यह भावना हमारे सभ्यतागत लोकाचार में निहित है, और दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव का केंद्रबिंदु है।

ऑनलाइन बैठकें

24 से 26 नवंबर 2025 तक, संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार और सुश्री प्रेरणा हसीजा, जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट, एनएचआरसी, भारत ने पैलेस डेस नेशंस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 'संकटों और परिवर्तनों के बीच व्यापार और मानव अधिकारों पर कार्रवाई में तेजी लाने' विषय पर 14वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानव अधिकार फोरम में ऑनलाइन भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तृत होते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सदैव एक सतत प्रक्रिया बनी हुई है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें कार्यपालिका की सहायता से जन कल्याण सुनिश्चित करने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएँ भी हैं। देश में एक जीवंत मीडिया भी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राष्ट्रीय आयोग भी हैं जिन्हें क्षेत्रीय स्तर पर राज्य-स्तरीय आयोगों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये संस्थाएँ अधिकारों और कल्याणकारी उपायों के प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं। ये समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस स्तंभ का उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों पर प्रकाश डालना है।

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

14 नवंबर 2025 को, कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) के सदस्य, श्री एस.के. वंतीगोडी ने बेलगावी जिले के रामदुर्गा तालुका का दौरा किया और हाशिए पर पड़े समुदायों के मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले पर तहसीलदार और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की और उनकी शिकायतों और चिंताओं को सुना।

▶ मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए केएसएचआरसी की पूर्ण पीठ बैठक

▶ केएसएचआरसी के अधिकारी जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए

इसके अलावा, उन्होंने कोप्पला जिले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सभी प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावासों का दौरा किया। केएसएचआरसी ने इन छात्रावासों की खराब बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था। उन्होंने छात्राओं से बातचीत की और छात्रावास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। उन्होंने तालुका स्तर के अधिकारियों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया और लोगों की शिकायतों के निवारण और उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सुझाव दिए।

18 से 20 नवंबर 2025 तक, केएसएचआरसी ने कर्नाटक के शिवमोग्गा और दावणगेरे जिलों में मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ की बैठकें आयोजित कीं। कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. टी. शाम भट्ट और सदस्य श्री एस.के. वंतीगोडी ने जिला कारागारों का दौरा किया और कैदियों की शिकायतें सुनीं। संबंधित अधिकारियों को कैदियों को दिन में तीन बार संतुलित भोजन और उचित वस्त्र उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

केएसएचआरसी ने जिला अस्पतालों का भी दौरा किया और मरीजों व उनके तीमारदारों की शिकायतें सुनीं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पताल को साफ-सुथरा रखने और उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके मरीजों के मानव अधिकारों की रक्षा करने के निर्देश दिए गए।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

नवंबर 2025 के दौरान, तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीएसएचआरसी) ने मानव अधिकार उल्लंघन के तीन मामलों में स्वतः संज्ञान लिया। इनमें धर्मावरम स्थित बीसी वेलफेयर बॉयज़ हॉस्टल में लगभग 55 छात्रों को फ़ूड पॉइज़निंग, मिरजागुडा गाँव के पास हुई सड़क दुर्घटना जिसमें 19 लोगों की जान चली गई, और पशु अंग-भंग और काला जादू जैसी घटनाएँ शामिल थीं। आयोग ने 24 नवंबर 2025 को आदिलाबाद के गुडीहाथनूर स्थित एक जन स्वास्थ्य केंद्र में घायल हुए एक नवजात शिशु की माँ को भी राहत देने की सिफ़ारिश की।

इसके अलावा, टीएसएचआरसी ने 6 नवंबर 2025 को गांधी अस्पताल, सिकंदराबाद का निरीक्षण किया और आपातकालीन वार्ड, जराचिकित्सा, बाल चिकित्सा और सामान्य विभागों सहित इसके विभागों का मूल्यांकन किया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की और अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की।

20 नवंबर 2025 को, टीएसएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (डॉ.) शमीम अख्तर ने नलगोंडा स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय में 58वें राष्ट्रीय

पुस्तकालय सप्ताह समारोह और "अक्षरस्य दिवस" के समापन समारोह में भाग लिया। उन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा में पुस्तकालयों और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

14 नवंबर 2025 को, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) के सदस्य डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के ओरछा स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में 'आयोग आपके द्वार' कार्यक्रम के अंतर्गत जनसुनवाई की। ज़िला अधिकारियों ने लंबित मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विभागों से समय पर जाँच करने, देरी से बचने, प्रभावित कर्मचारियों को मुआवज़ा देने और अनुकंपा नियुक्तियों का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी मानव अधिकार संबंधी सभी शिकायतों का निर्धारित समय में निपटारा सुनिश्चित करें।

▶ मध्य प्रदेश के ओरछा स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में एमपीएसएचआरसी द्वारा जन सुनवाई का आयोजन

▶ एमपीएसएचआरसी सदस्य, डॉ. अवधेश प्रताप सिंह एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो, मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली से भेंट करते हुए

जनसुनवाई के बाद, मध्य प्रदेश राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नए भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निवाड़ी उप-कारागार का भी दौरा किया और वहां की स्थितियों एवं सुविधाओं का जायजा लिया।

इससे पहले, 6 नवंबर 2025 को, डॉ. अवधेश ने नई दिल्ली स्थित मानव अधिकार भवन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य श्री प्रियांक कानूनगो से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने उन्हें राज्य आयोग की गतिविधियों की जानकारी दी और प्रमुख मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा की।

इस महीने के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के छह मामलों में 22 लाख रुपये की आर्थिक राहत की सिफ़ारिश की। इनमें डूबने से हुई मौत, पुलिस हिरासत में आत्महत्या, बिजली गिरने से एक छात्र की मौत आदि के तीन मामले शामिल थे। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप से पेंशन बकाया राशि के भुगतान में देरी, चिकित्सा दावों, प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों और पुलिस अत्याचार के पीड़ितों को भी राहत सुनिश्चित हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एचपीएसएचआरसी) ने अक्टूबर से नवंबर 2025 तक मानव अधिकार उल्लंघन की कुल 22 शिकायतें दर्ज कीं और 6 मामलों का निपटारा किया। पीड़ितों को राहत के रूप में 4 लाख रुपये देने की सिफारिश की गई।

संक्षेप में समाचार

- 6 नवंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव, श्री भरत लाल ने भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की और उनसे 10 दिसंबर, 2025 को मानव अधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अनुरोध किया।

- 18 नवंबर 2025 को, अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की एक टीम ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आयोग के कामकाज और ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन सहित मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

- 19 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने भुवनेश्वर, ओडिशा में 'औद्योगिक सुरक्षा और मानव सम्मान सुनिश्चित करने में मानव अधिकार आयोग' विषय पर आयोजित 16वें राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन - 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार केवल एक वैधानिक या प्रशासनिक कर्तव्य नहीं है; यह संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त एक मौलिक मानव अधिकार है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं को इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक प्रगति की चाह में व्यक्तियों के जीवन और सम्मान से समझौता न हो।

- 19 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती सैदिंगपुई छकछुआक ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी ऑफ लॉ सेंटर II द्वारा दिल्ली में आयोजित 'कानून का विविध परिदृश्य: पारंपरिक और उभरता करियर पथ' विषय पर आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों से आए छात्रों को संबोधित करते हुए, उन्होंने छात्रों से सबसे कमजोर आबादी की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया, जो अधिकांश परिस्थितियों में असमान रूप से प्रभावित होती है। उन्होंने छात्रों को इस युग में, जहाँ तकनीकी प्रगति की सीमाएँ कल्पना से परे विस्तृत हो रही हैं, असीम संभावनाओं को उजागर करने के लिए अपने विश्लेषणात्मक कौशल को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया।

- 20 नवंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगि ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर ओडिशा के एकामरा हाट में पीपुल्स कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित 36वें सिसुमेला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 21 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में गुजरात के सुख परिवार फाउंडेशन द्वारा आयोजित आदिवासी महिलाओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। खचाखच भरे हॉल में गुजरात की 60 से अधिक आदिवासी महिलाएँ शामिल थीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार केवल चिकित्सा देखभाल के बारे में नहीं है; यह उनके गरिमा, जागरूकता और अधिकारिता से जुड़ा है। भारत की 1.46 अरब आबादी में आधी आबादी महिलाओं की है। इनमें से लगभग 5 करोड़ आदिवासी महिलाएँ हैं। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के मामले में उन्हें सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि माहवारी एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह शरीर की शक्ति और लय का प्रतीक है। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता का अभाव सिर्फ़ स्वास्थ्य पर ही असर नहीं डालता; बल्कि यह शिक्षा और आजीविका को भी प्रभावित करता है। फिर भी, आज भी यह कलंक और शर्म से घिरा हुआ है। इस चुप्पी के खासकर प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए गंभीर परिणाम हैं। वे एनीमिया और एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनका अक्सर वर्षों तक निदान नहीं हो पाता, खासकर ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों की महिलाओं में। अपर्याप्त स्वच्छता या सामाजिक न्याय के डर के कारण, वे कार्यस्थल पर मासिक धर्म को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करती हैं।

आदिवासी महिलाओं के लिए गुजरात की 2006 की मातृ स्वास्थ्य देखभाल पहल (चिरंजीवी योजना) का हवाला देते हुए और वहां अपने व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुभव से आकर्षित होकर, श्री लाल ने कहा कि प्रभावी हस्तक्षेप परिवर्तनकारी बदलाव ला सकते हैं। आज, भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम मासिक धर्म स्वच्छता योजना और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समग्र शिक्षा तक इस यात्रा को जारी रखे हुए हैं। परिणाम खुद बोलते हैं: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) -5 से पता चलता है कि युवा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ तरीकों का उपयोग मात्र पांच वर्षों में 57.6% से बढ़कर 77.3% हो गया है। यह वास्तविक प्रगति है। फिर भी, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें कलंक को विज्ञान से, शर्म को बातचीत से और बाधाओं को पहुँच से बदलने की आवश्यकता है। जब महिलाएं स्वस्थ और सशक्त होती हैं, तो परिवार समृद्ध होते हैं, समाज फलता-फूलता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है।

- 25 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार, श्री राघवेंद्र सिंह ने युवा केंद्र, खारघर, मुंबई में "बेघरपन और अभाव: कानून, मुद्दे और संभावनाएँ" विषय पर एक संगोष्ठी में भाग लिया। यह संगोष्ठी कोशिश ट्रस्ट द्वारा दलित अध्ययन केंद्र और रोज़ा लक्ज़मबर्ग फ़ाउंडेशन के सहयोग से आयोजित की गई थी। उन्होंने भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहलों पर प्रकाश डाला और पिछले वर्ष प्रणालीगत कमियों और सुधारों पर आयोजित जन सुनवाई के बारे में बात की। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की रोकथाम और पुनर्वास पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सलाह को लागू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा है।

- 30 नवंबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने ओडिशा के ओडागांव में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'मानव अधिकारों की सुरक्षा में बार की भूमिका' विषय पर एक संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में हिरासत में हिंसा, गैरकानूनी हिरासत, बंधुआ मजदूरी, बाल अधिकारों का उल्लंघन, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार, मानव दुर्व्यापार, पर्यावरणीय क्षति और कमजोर समुदायों की सुरक्षा सहित कई मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामलों में, अधिवक्ता ही आयोग को सचेत करते हैं, अभ्यावेदन भेजते हैं, पीड़ितों की सहायता करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उल्लंघन छिपे न रहें। लेकिन मानव अधिकार संरक्षण केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं हो सकता; इसे निवारक भी होना चाहिए। और यहीं पर बार की ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

  उन्होंने कहा कि जब वकील समुदायों के साथ जुड़ते हैं, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करते हैं, कानूनी सहायता प्रयासों में सहायता करते हैं और याचिकाओं व अभ्यावेदनों के माध्यम से अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं, तो उल्लंघनों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। उन्होंने ओडागांव बार एसोसिएशन से जिले में न्याय तक पहुँच को मज़बूत करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। नियमित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों और गाँवों में पहुँच, महिलाओं, बच्चों और हाशिए के समुदायों पर केंद्रित विशेष अभियान जैसे प्रयास समाज में बदलाव ला सकते हैं।

आगामी कार्यक्रम

10 दिसंबर 2025	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत नई दिल्ली में मानव अधिकार दिवस समारोह और 'दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोकसेवा और गरिमापूर्ण जीवन और सभी के लिए सम्मान' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी।
19 दिसंबर 2025 से	आयोग नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए 4 सप्ताह का व्यक्तिगत शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा।

नवंबर 2025 में शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	5,517
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	4,162
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	43,922

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95